सत्यमेव जयते

No 1/3/2017-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 11 मई, 2017

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 19.4..2017 को 12:00 बजे सम्पन्न 95वीं बैठक मे हुइ चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 95वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 19.4..2017 को 12:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

दिलीपकुमारे

(दिलीप एस. कुंभारे)
अवर सचिव

95वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 30..5.2017 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. निदेशक (अनुसंधान एकक–III & IV)
2. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
3. अवर सचिव (समन्वय एवं अनुसंधान एकक– IV)
4. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)/ सहायक निदेशक, राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I & II)

प्रतिलिपिः 95वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की 95वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

फाईल सं. 1/3/2017–समन्वय

दिनांक : 19 अप्रैल, 2017 समय : 12:00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री दिलीप एस. कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्यसूची मद सं0 1	मंत्रिमण्डल के लिए ड्राफ्ट टिप्पण (1) संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो की घोषणा के मापदण्ड को पुनः परिभाषित करना, और (2) संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रो की घोषणा करने के सम्बन्ध में
Agenda Item No. 1	Draft Note for the Cabinet regarding (i) Re-defining criteria for declaration of Scheduled Areas under Fifth Schedule of the Constitution, and (ii) declaration of Scheduled Areas in Rajasthan under Fifth Schedule of the Constitution.

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 11023/23/2016–स्टेटस/सी.एण्ड एल. एम दिनांक 30.3.2017 द्वारा मंत्रिमण्डल के लिए ड्राफ्ट टिप्पण (1) संविधान की पांचवी

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रो की घोषणा के मापदण्ड को पुनः परिभाषित करना और (2) संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रो की घोषणा करने के सम्बन्ध में आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा है।

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर आयोग द्वारा विचार किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रस्तावित मापदण्डों मे एक यह है कि यदि प्रस्तावित क्षेत्र, वर्तमान क्षेत्रों के साथ सटा हुआ नही है तो न्यूनतम संघटक इकाई एक सम्पूर्ण जिला होना चाहिए। आयोग ने यह आकलन किया गया कि यदि न्यूनतम संघटक इकाई एक सम्पूर्ण जिला है तो ऐसे स्थान भी होगें जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 40 प्रतिशत या अधिक हो परन्तु वह क्षेत्र एक जिले से कम हो, ऐसे मामले में उस क्षेत्र के लोगों को लाभ नही होगा। अतः यह महसूस किया गया कि इकाई का न्यूनतम क्षेत्र, एक सम्पूर्ण जिले से कम होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अनूसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रस्तावित मापदण्डों को किसी राज्य सरकार के साथ परामर्श किए बिना बनाया गया है।

1.3 आयोग ने यह भी आकलन किया कि राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार/घोषणा का यह प्रस्ताव, राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित नहीं है।

1.4 प्रस्तावों के विभिन्न पहलूओं पर विचार करने के बाद, आयोग ने सिफारिश की कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, सर्वप्रथम राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए मापदण्डों को अंतिम रूप दे और मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करें। इसके बाद, राजस्थान जैसे विनिर्दिष्ट राज्यों मे और देश के अन्यत्र अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कार्यसूची मद सं0 2 **Agenda Note Item No. II**	हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 के सम्बन्ध में The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Bill, 2016-regarding.

2.1 गृह मंत्रालय (जूडीसिएल एण्ड पॉलिटिकल पेन्शन्स सेक्शन) का.ज्ञा.सं. 17/9/2017–जूडीसिएल एण्ड पीपी दिनांक 10.03.2017 द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संशोधन विधेयक, 2016 की प्रति आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा।

2.2 आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 पर विचार किया जिसमें राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंको या राज्य के भीतर अपने मुख्यालय वाले किन्हीं सहकारी बैकों को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियो के लोगो की भूमि को गिरवी रखने के लिए योग्य होने मे शामिल करने के लिए प्रस्तावित है। आयोग इस शर्त के अध्यधीन गृह मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत हुआ कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से गिरवी रखी गई जमीन को गैर–अनुसूचित जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित नही किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

Any other items with permission of Chair

कार्यसूची मद सं0 1	दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 17.4.2017 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिकायतों के समाधान के लिए न्यायालयों की स्थापना में राज्यों द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध मे प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध मे।
Agenda Note Item No. I	Press Clipping published in Daily Newspaper in Hindustan Times dated 17/4/2017 regarding States lag in setting up courts to address SC, ST grievances

1.1 बैठक में यह सूचना दी गई कि प्रकाशित समाचार के अनुसार महाराष्ट्र और ओडीशा जैसे राज्यों, जहां लम्बित दर 90% और 80% के लगभग है, ने अब तक केवल तीन विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश मे 43, राजस्थान मे 25 और गुजरात मे 26 ऐसे न्यायालय है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अनुसार राज्यों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की न्यायिक–जांच के लिए विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करना

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनिवार्य है। इस समाचार मे यह भी उल्लिखित है कि पैन इण्डिया के आंकड़े दर्शाते है कि 2013 में 84.1% लम्बित आकड़े रहने की दर, 2015 मे 87.3% तक पहुँच गए है।

1.2 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 प्रावधान करता है कि राज्य सरकारों को विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की न्यायिक जांच के लिए विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करना अनिवार्य है।

1.3 आयोग ने निर्णय लिया कि माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अ•शा•पत्र के माध्यम से, उन राज्यों, जहां बड़ी संख्या मे अनुसूचित जनजाति की जनसख्या है के मुख्यमंत्रियों को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत और अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के प्रति सुग्राही बनाने को कहा जाए।

कार्यसूची मद सं0 2 **Agenda Note Item No. II**	डेक्कन क्रानिकल दिनांक 16.4.2017 मे प्रकाशित समाचार "आरक्षण विधेयक को कानूनी कवर के लिए राज्य सलाह लेगा"। News item published in Deccan Chronicle, Hyderabad dated 16.4.2017 caption "State to seek legal cover for quota Bill".

2.1 डेक्कन क्रानिकल दिनांक 16.4.2017 मे प्रकाशित समाचार "आरक्षण विधेयक को कानूनी कवर के लिए राज्य सलाह लेगा", तथा अन्य समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुआ कि तेलंगाना मंत्रीमंडल ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानो में सीटों और राज्य सरकार के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण) विधेयक, 2017 द्वारा अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बीसी–ई (मुस्लिम समुदाय के पिछड़ा वर्ग) के लिए इसे मौजूदा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप तेलंगाना राज्य में कुल आरक्षण मौजूदा 50 प्रतिशत से बढकर 62 प्रतिशत हो जाएगा। आयोग इससे अवगत हुआ।

कार्यसूची मद सं0 3	सिक्किम विधान सभा (एसएलए) सीटों को 32 से बढ़ाकर 40 करने और विधान सभा में लिम्बू और तमांग (एल एण्ड टी) अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के संबध में।
Agenda Note Item No. III	To increase Seats in Sikkim Legislative Assembly (SLA) from 32 to 40 and reservation of seats for Limboo and Tamang (L&T) ST communities in the Assembly-regarding.

3.1 उपरोक्त विषय पर अवगत कराया गया कि गृह मंत्रालय (एनई डिवीजन) ने का॰ ज्ञा॰ सं॰ 4/1/2011 एनई–II दिनांक 7.3.2017 द्वारा सिक्किम विधान सभा (एसएलए) सीटों को 32 से बढ़ाकर 40 करने और विधान सभा में लिम्बू और तमांग (एल एण्ड टी) अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु मंत्री मंडल के लिए ड्राफ्ट नोट, आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा था। इस प्रकरण पर आयोग ने 94 वीं बैठक दिनांक 23.03.2017 को विचार किया तथा गृह मंत्रालय को संपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा।

3.2 तदोपरांत सिक्किम विधान सभा में विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दों पर सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2017 को दोपहर 12 बजे संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, तथा अपर आवासी आयुक्त, सिक्किम सरकार, नई दिल्ली के साथ चर्चा की।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.3 दिनांक 17.04.2017 को चर्चा में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय ने अवगत करवाया कि सिक्किम का भारत संघ में विलय वर्ष 1975 में 30 वें संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ। भारत संघ में सिक्किम का प्रवेश एक राज्य के रूप में हुआ था। अनुच्छेद 371 एफ को उस राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने और परिस्थितियोंवश सिक्किम प्रशासन से सम्बन्धित कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए अन्तर्स्थापित किया गया था। तब से सिक्किम भारत संघ का हिस्सा बन गया। वर्तमान में विधान सभा में 32 सीटें हैं। इन 32 सीटों में से 12 सीटें सिक्किम मूल के भूटिया–लेप्चा समुदाय के लिए आरक्षित है, 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और एक सीट संघा के लिए आरक्षित है तथा शेष 17 सीटें अन्य समुदायों (सामान्य) श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। यद्यपि भूटिया–लेप्चा समुदाय, सिक्किम राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 18 प्रतिशत ही है, ऐतिहासिक और राजनैतिक कारणों से उनके लिए 16 सीटें आरक्षित थी। इन सीटों को बाद में 12 तक लाया गया। संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर सी पौडियाल द्वारा दाखिल न्यायिक वाद से सम्बधित अपने निर्णय में आकलन किया कि भूटिया–लेप्चा समुदाय के लिए ऐसा सीटों का विस्तार केवल एक अनतर्वर्ती प्रबन्ध हैं।

वर्तमान में कुल 32 सीटों की संख्या में लिम्बू तमांग समुदाय को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता मामले में, संयक्त सचिव, गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि ऐसी स्थिति में आरक्षण की कुल संख्या 20 सीटें हो जाएंगी जो कि 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी जो आरक्षण के लिए वांछनीय नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सिक्किम मे 61 प्रतिशत जनसंख्या समान्य श्रेणी की है और अतः सीटों का दो तिहाई आरक्षण उपयुक्त नहीं होगा। औचित्य बनाए रखने के लिए सीटों को 40 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और उनमें से 5 सीटें लिम्बू तमांग समुदाय के लिए आरक्षित की गई है।

3.4 आयोग ने नोट किया कि वर्तमान मे अनुसूचित जनजातियों को 12 सीटों का आरक्षण है जो कुल सीटों का 37.53% है। विधानसभा की प्रस्तावित 40 सीटों में से 17 (12+5) सीटों

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के आरक्षण के लिए गृह मत्रांलय का प्रस्ताव, अनुसूचित जनजातियों के लिए 42.5% आरक्षण का प्रावधान करता है जो वर्तमान स्थिति से 5% अधिक है।

3.5 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग, गृह मंत्रालय के "सिक्किम विधान सभा (एसएलए) सीटों को 32 से बढ़ाकर 40 करने और विधान सभा में लिम्बू और तमांग (एल एण्ड टी) अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण" के प्रस्ताव से सहमत है।

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi